

केंद्रीय आयुक्त, बेंगलोर

बनाम

मैसर्स वृंदावन बेवरेज (पी) लिमिटेड एवं अन्य

15 जून, 2007

[डॉ. अरिजीत पसायत और एस.एच. कपाडिया, जेजे.]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944:

कारण बताओ नोटिस आरोप, विशिष्ट नहीं - इसके अलावा, नोटिसधारी इसलिए नोटिस में दर्शाए गए आरोपों को पूरा करने का उचित अवसर नहीं दिया गया के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकती।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग ने अधिसूचना No.175/86 और 1/93 के तहत छूट की उपलब्धता से संबंधित कार्यवाही निर्धारिती के सम्बन्ध में शुरू की। आयुक्त ने यह मानते हुए कार्यवाही को रद्द कर दिया कि प्रतिवादी उक्त छूट अधिसूचनाओं के तहत लाभों के हकदार थे। सीईजीएटी ने आयुक्त के आदेश को बरकरार रखा। इसलिए ये अपीलें की गई हैं।

अपीलार्थी ने तर्क दिया है कि निर्धारिती ने जानबूझकर गलत बयान देकर और सही तथ्यों को दबाकर एएमपीएल और पीईएल के साथ साजिश करके उत्पाद शुल्क छूट का धोखाधड़ी से लाभ उठाया और चूंकि निर्धारिती इस प्रकार लाभ नहीं उठा सकता था, इसलिए उन्होंने लाभ उठाने के लिए नकली कारोबार पैदा किये और इन परिस्थितियों में वास्तविक मालिकों का पता लगाने के लिए कॉर्पोरेट पर्दा उठाने की आवश्यकता थी।

न्यायालय ने याचिकाएं खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया कि-

1. कारण दर्शाओ नोटिस में रेस्पोंडेंट्स की भूमिका, यदि कोई हो, तो उसके बारे में कुछ भी विशिष्ट नहीं था। जैसा कि आरोप लगाया गया है कि व्यवस्थाएं जानकारी के भीतर या रेस्पोंडेंट्स के इशारे पर या उनकी मिलीभगत से नहीं दिखाई गई हैं। प्रेचार्जि धारक के साथ उत्तरदाता द्वारा व्यवस्थाएँ की गई थीं। मताधिकार धारक के साथ उत्तरदाता। कारण दर्शाओ नोटिस के अवलोकन पर उत्तरदाताओं का रुख स्पष्ट रूप से स्थापित हो जाता है। [पैरा 9] [1037-एफ]

2. रेस्पोंडेंट्स के किसी भी पक्ष में होने का कोई आरोप नहीं है। किसी भी स्थिति में इस बारे में कोई सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं रखी गई थी। कारण बताओ नोटिस वह आधार है जिस पर विभाग को अपना मामला निर्मित करना होता है। यदि कारण दर्शाओ नोटिस में आरोप विशिष्ट नहीं हैं और इसके विपरीत अस्पष्ट हैं, और विवरण की कमी है और/या अस्पष्ट है जो यह माने जाने हेतु पर्याप्त है कि नोटिस प्राप्तकर्ता को कारण बताओ नोटिस में बताए गए आरोपों को पूरा करने का उचित अवसर नहीं दिया गया था। इस मामले में, अपीलार्थी ने विभिन्न चिंताओं के बीच कथित संबंध को उजागर करने की कोशिश की है। चूंकि इस मामले में पर्याप्त सामग्री नहीं है इसलिये जब तक यह नहीं दिखाया जाता है कि वे व्यवस्थाओं के पक्षकार थे, तब तक यह उत्तरदाताओं के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। चूंकि अपीलार्थी के रुख की पुष्टि करने के लिए कोई सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं रखी गई है, तो सी.ई.जी.ए.टी. द्वारा पुष्टि किए गए आयुक्त के निष्कर्षों को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। [पैरा 10] [1037-जी-एच; 1038-ए-डी]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं 3417-3425/2002।

सीमा शुल्क, स्वर्ण (नियंत्रण अपीलीय न्यायाधिकरण, दक्षिण क्षेत्रीय पीठ बेंगलोर में अपील संख्या/1565-1573/98 के अंतिम आदेश संख्या 868-876/2000 में पारित दिनांक 04.05.2001।

और

सिविल अपील सं. 4398/2003।

अपीलार्थी की ओर से ए. सुब्बा राव, टी.ए. खान, अजय शर्मा और बी. कृष्ण प्रसाद।

रेस्पोंडेण्ट की ओर से जोसेफ वेल्लापल्ली, वरिष्ठ अधिवक्ता, तरुण गुलाटी, अंकित गोयल, आर. चंद्रचूड, के.आर. शशिप्रभु, एम.एस. नागराजा, प्रवीणा गौतम और प्रमोद बी. अग्रवाल।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. इन अपीलों में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण, बेंगलोर का निर्णय (संक्षेप में 'सी.ई.जी.ए.टी.') के आदेश को चुनौती दी गई है। इस निर्णय में राजस्व द्वारा आयुक्त सेन्टल एक्साइज बेंगलोर के सामान्य आदेश के खिलाफ दायर अपीलों को विवादित निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया था। आयुक्त ने अधिसूचना संख्या 175/86 और 1/93 के तहत छूट की उपलब्धता से संबंधित दिनांक 4.5.1995 के कारण बतओ नोटिस के माध्यम से शुरू की गई कार्यवाही को हटा दिया था।

2. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत पृष्ठभूमि तथ्य इस प्रकार हैं:

कारण बतओ नोटिस के माध्यम से यह आरोप लगाया गया था कि मेसर्स वृंदावन बेवरेजेज प्रा. लिमिटेड, (जिसे यहां इसके बाद 'बी.बी.पी.एल.' के रूप में पढ़ा जाएगा), जो कि वातित जल के निर्माण और मेसर्स पार्ले एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (जिसे

यहां इसके बाद पीईएल.' के रूप में पढा जाएगा) के फ्रेंचाइजी धारक थे और इस ब्राण्ड के तहत लिम्का थम्स अप गोल्ड स्पाट इत्यादि के निर्माता थे तथा सिट्रा के नाम से वातित जल मैसर्स लिम्का फ्लेवर्स एंड फ्रेग्रेन्स लिमिटेड, (जिसे यहां इसके बाद 'एल.एफ.एफ.एल.' के रूप में पढा जाएगा), जो कि मैसर्स पीईएल की ही एक होल्डिंग कंपनी है। वे एक्वा मिनरेल (पी) लिमिटेड (जिसे यहां इसके बाद 'एमपीएल' के रूप में पढा जाएगा) की अनुमति से "बिस्लेरी क्लब सोडा" के नाम के एक अन्य ब्राण्ड के निर्माता भी थे। साथ ही उन्होंने सिट्रा और बिस्लेरी क्लब सोडा के लिये यह दावा करते हुए अधिसूचना संख्या 175/86 और 1/93 के तहत ड्यूटि से छूट प्राप्त की थी कि इन ब्रांड नाम के मालिक उद्योग निदेशालय के साथ एक लघु इकाई के रूप में पंजीकृत थे और इसलिए, वे उक्त अधिसूचनाओं के तहत छूट के लिए भी पात्र थे।

खुफिया जानकारी के आधार पर यह पता चला कि मैसर्स पार्ले एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और पार्ले इंटरनेशनल लिमिटेड (इसके बाद क्रमशः 'पी.ई.एल. और पी.आई.एल.' के रूप में संदर्भित) संकेंद्रण का कम मूल्यांकन कर रहे थे और इस तरह केंद्रीय उत्पाद शुल्क से बच रहे थे, इस पर महानिदेशालय के अधिकारियों और डायरेक्ट्रेट जनरल आफ एण्टी इवेजन द्वारा जाँच की गई थी।

इस प्रकार पूछताछ की गई और बयान दर्ज किए गए और इसके उपरान्त राजस्व ने पाया कि मैसर्स बीबीपीएल ने एएमपीएल और पीईएल के साथ षडयन्त्रपूर्वक कर एसएसआई छूट का लाभ गलत तथ्य रखकर और सही तथ्य छिपाकर कपटपूर्वक उठाया है तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क की राशि 39,51,028/- जो कि जुलाई 1993 से जनवरी 1994 के मध्य की थी उसकी डिमाण्ड सीमा की लंबी अवधि का आह्वान करके केन्द्रिय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत की गई। यह भी पाया गया कि सहायक कलेक्टर ने बीबीपीएल, एसएसआई को "बिस्लेरी क्लब सोडा" और "सिट्रा" पर छूट देने का आदेश पारित किया था। हालांकि, यह पाया गया

कि जांच में जिन तथ्यों का खुलासा किया गया था वे सहायक कलेक्टर के सामने नहीं रखे गये थे। अनुसंधान से यह भी सामने आया कि बिस्लेरी क्लब सोडा और सिट्रा ब्राण्ड का मालिक पीईएल है और एलएफएफएल का कम मूल्यांकन माल को छूट सीमा से नीचे रखने के लिये किया जा रहा था। यह भी था आरोप लगाया कि एलएफएफएल जो "सिट्रा" ब्रांड का मालिक है, अहमदाबाद के कारखाने में फलेवर्स के निर्माण में लगा हुआ था और उसने एसएसआई की संशोधित अधिसूचना के तहत छूट का लाभ उठाया था और छोटे उपयोगकर्ताओं को शर्तों के तहत फ्रेंचाइजी की अनुमति दी थी जिसके परिणामस्वरूप फ्रेंचाइजी ने भी एस.एस.आई. लाभ भी लेना शुरू कर दिया जो कि इस लाभ को लेने के हकदार इसलिये नहीं थे क्योंकि पता चला कि "सिट्रा" पीईएल आर एंड डी के प्रयासों द्वारा विकसित और लॉन्च किया गया था और पीईएल तथा एलएफएफएल के ब्रांड नाम के रूप में पंजीकृत किया गया था। आरोप है कि उन्होंने लाभ प्राप्त करने के लिए जानबूझकर फलेवर्स के निर्माण को विभाजित किया है। पार्ले समूह प्रबंधन, केंद्रीय रूप से और सामान्य तौर पर, पी.ई.एल. के अधिकारियों के माध्यम से सभी उत्पादों को नियंत्रित करता था। यदि कॉर्पोरेट घूँघट का आश्रय हटा दिया गया था, तो यह देखा गया कि अन्य करों के उद्देश्यों के लिए तो यह एक था, लेकिन अधिसूचनाओं के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क के तहत उन्हें अलग-अलग व्यक्तियों के रूप में दिखाया गया था। इसलिए, सभी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं की निकासी का मूल्य पीईएल से हटा दिया गया। एलएफएफएल की पात्रता निर्धारित करने के लिए पीआईएल और एलएफएफएल को एक साथ लिया जाना था। एलएफएफएल द्वारा दावा किए गए एसएसआई से जिन लाभों को उठाया जा रहा था, वे उनको उपलब्ध नहीं हो सकते थे और चूंकि एसएसआई छूट का लाभ उठाने के लिए निर्माण का जानबूझकर विखंडन किया गया था, इसलिए "सिट्रा" पर छूट हेतु वे लाभ के पात्र नहीं थे । इसलिए, अक्टूबर 1990 से जनवरी 1994 की अवधि के लिए उत्पाद शुल्क की राशि

Rs.79,48,115/- "सिट्रा" के सम्बन्ध में तथ्यों के जानबूझकर दमन को देखते हुए लंबी अवधि का आह्वान करके मांग की गई थी।

3. नोटिसकर्ताओं ने अपने जवाब प्रस्तुत किए। प्रस्तुतियों पर विचार करने पर, दिनांकित 4.5.1995 के कारण बताए जाने के नोटिस के आधार पर कार्यवाही शुरू की गई। राजस्व ने सीईजीएटी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की।

4. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, सी.ई.जी.ए.टी. ने माना कि कार्यवाहियों को रद्द करने के आयुक्त के आदेश में कोई कमी नहीं थी।

5. सी.ई.जी.ए.टी. को इस याचिका में कोई सार नहीं मिला क्योंकि "बिस्लेरी क्लब सोडा" के नाम से ऐसा कोई ब्रांड नाम नहीं था जो ट्रेड मार्क प्राधिकरणों द्वारा पंजीकृत किया गया था। ट्रेडमार्क एक्ट के तहत जाे पंजीकृत किया गया था वह शब्द "बिस्लेरी" माल के लिये और "सोडा" वातित जल के लिए था और शब्द "बिस्लेरी" बियर तथा गैर-मादक पेय और सिरप के लिए था। सी.ई.जी.ए.टी. ने पाया कि उपयोग किए गए शब्दों को ट्रेडमार्क के रूप में या किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित किसी अन्य चिह्न के रूप में इंगित करने के लिए कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया था जो अधिसूचना के तहत लाभों का हकदार नहीं है।

6. अपीलों के समर्थन में, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि सी.ई.जी.ए.टी. ने इस तथ्य को नजरअंदाज किया कि कॉर्पोरेट पर्दा उठाने और यह पता लगाने की आवश्यकता थी कि ब्रांड नाम का वास्तविक मालिक कौन था। यह कहा गया कि पर्यवेक्षण और निर्णय लेने की शक्ति किसी और के पास है न कि रेस्पोंडेंट्स के पास।

7. अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री ए. सुब्बा राव ने कहा कि प्रत्यर्थी बी.बी.पी.एल. के पास मेसर्स पार्ले एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की फ्रेंचाइजी थी जिसके ब्रांड

नाम के तहत उन्होंने लिम्का, थम्स अप और गोल्ड स्पॉट के ब्रांड नामों में वातित पानी का निर्माण किया था। उन्होंने सिट्रा के नाम से वातित जल में लिम्का लेवर्स एण्ड गारेन्सेस जो कि पीडएल की एक होल्डिंग कम्पनी है और जिसमें श्री रमेश जे चौहान तथा श्री प्रकाश जे चौहान के ५० ५० प्रतिशत शेयर हैं और जो कि परस्पर भाई हैं। इसके अलावा रेस्पोंडेंट्स में एक्वा मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली की अनुमति से बिसलेरी क्लब सोडा के ब्राण्ड नाम से वस्तुओं का निर्माण भी किया। एल.एफ.एफ.एल., पी.ई.एल., ए.एम.पी.एल., पी.आई.एल., एपेक्स ट्रेडर्स, मेसर्स कूलेड बेवरेजेज (पी) लिमिटेड और मेसर्स दिल्ली बॉटलिंग कंपनी लिमिटेड में विभिन्न पदों और निदेशकों के संदर्भ में यह कथन किया गया कि या तो श्री रमेश जे. चौहान या प्रकाश जे. चौहान या उनसे संबंधित व्यक्ति या उनके निदेशक मंडल के सदस्य होने के नाते उन्हें विभिन्न कंपनियों को विचाराधीन अधिसूचना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पहलू बनाने का अधिकार था। चूंकि इन संस्थाओं को लाभ नहीं मिल सकता था, इसलिए उन्होंने लाभ प्राप्त करने के लिए नकली कारोबार पैदा किये हैं। यह भी कथन किया गया कि इन परिस्थितियों में यह पता लगाने के लिए कॉर्पोरेट पर्दा उठाने की आवश्यकता थी ताकि असली मालिकों का पता लग सके।

8. इसके विपरीत, रेस्पोंडेंट्स के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि वहाँ इस बात की कोई सामग्री नहीं है कि प्रतिवादी कभी भी तथाकथित व्यवस्था के पक्षकार रहे थे, यदि तर्कों के लिए स्वीकार कर लिया जावे तो भी यह स्वीकार नहीं किया गया, कि ऐसी व्यवस्था वास्तव में की गई थी। जैसा कि आरोप लगाया गया था यह दिखाने के लिये कोई सामग्री नहीं लाई गई थी कि रेस्पोंडेंट्स की ऐसे मामलों में कोई भूमिका थी। यहां तक कि कारण बताओ नोटिस में भी इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए किसी विशेष सामग्री का उल्लेख नहीं किया गया था। इसलिए, आयुक्त और सी.ई.जी.ए.टी. का यह मानना उचित था कि उत्तरदाता लाभों के हकदार थे।

9. हम पाते हैं कि कारण दर्शाओ नोटिस में रेस्पोंडेंट्स की भूमिका दर्शाने लायक कुछ भी खास नहीं था। बताई गई व्यवस्थाएँ रेस्पोंडेंट्स की जानकारी में थी अथवा मिलीभगत से थी यह स्पष्ट नहीं हैं। रेस्पोंडेंट्स द्वारा फ्रेंचाइजी धारक के साथ स्वतंत्र व्यवस्था की गई थी। कारण बताओ नोटिस के अवलोकन पर उत्तरदाताओं का रुख स्पष्ट रूप से स्थापित हो जाता है।

10. रेस्पोंडेंट्स के किसी भी पक्ष में व्यवस्था करने का कोई आरोप नहीं है। किसी भी अवस्था में इस संबंध में कोई सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं रखी गई थी। कारण बताओ नोटिस वह आधार है जिसके माध्यम से विभाग को अपना मामला बनाना होता है। यदि कारण बताओ नोटिस में आरोप विशिष्ट नहीं हैं और इसके विपरीत अस्पष्ट हैं, या विवरण की कमी है और/या अस्पष्ट है और जो यह मानने के लिए पर्याप्त है कि नोटिस प्राप्तकर्ता को आरोपों को जानने का उचित अवसर नहीं दिया गया था तो यह मानने का उचित आधार है कि नोटिस पर्याप्त नहीं है। इस मामले में, अपीलार्थी ने विभिन्न कारोबारों के बीच कथित संबंध को उजागर करने की कोशिश की है। यह रेस्पोंडेंट्स के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त नहीं है जब तक कि यह नहीं दिखाया जाए कि वे व्यवस्थाओं के पक्षकार थे, यदि कोई हो। चूंकि अपीलार्थी के रुख की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं है, आयुक्त के निष्कर्षों को गलत नहीं ठहराया जा सकता है, जैसा कि सी.ई.जी.ए.टी. ने पुष्टि की है।

11. इसलिए, आयुक्त और सीईजी द्वारा देखे गए तथ्यों पर इन अपीलों में हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है अतः इस प्रकार खारिज किया जाता है। खर्चों के बारे में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

डी.जी.

अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक नीरज कुमार भारद्वाज द्वारा किया गया है।

**अस्वीकरण :** यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।